श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती की तैयारी के संबंध में विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई' 2015 को संपन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। सभी को अपने–अपने दायित्वों का ससमय संपादन करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। विचार–विमर्श के उपरांत निम्नवत विशिष्ट निर्णय लिये गयेः–

1. 75 एकड़ में अस्थायी परिसर के लिए जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्त, पटना की है। वे पटना, सारण एवं वैशाली जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण करके एक माह के अंदर जमीन चिन्हित करेंगे और संबंधित जिला पदाधिकारियों के माध्यम से आयोजकों को अवगत कराएंगे। वे घाट विकास के लिए आवंटित 3.958 एकड़ भूमि का भी निर्विवाद उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे एवं गोविन्द घाट हेतु इस भूमि का सीमाँकन कराएंगे।

2. यह निर्णय लिया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों का दल दिनांक 23.05.2015 को प्रातः 09:00 बजे से इस क्षेत्र का भ्रमण करके अनुश्रवण करेंगे।

3. गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करना संभव नहीं है। विद्यालय में 82 कमरे बनाये जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया कि इस पर अग्रेत्तर कोई कार्रवाई तत्काल करने की आवश्यकता नहीं है। गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा नई क्रय की जा रही भूमि से वैकल्पिक रास्ता बनाने की संभावनाओं पर जिला पदाधिकारी, पटना अध्ययन कराएंगे।

4. विशेष सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि नारायणी कन्या उच्च विद्यालय के स्थानांतरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है। तदनुसार इस पर भी अग्रेत्तर कोई कार्रवाई तत्काल करने की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित उपलब्धता के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करके 15 दिन के अंदर नोडल विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

6. रेलवे से संबंधित मुद्दों पर महाप्रबंधक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, हाजीपुर द्वारा किसी प्रकार का सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि पूरी स्थिति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराते हुए उनकी ओर से माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार को एक पत्र उपस्थापित किया जाय। वर्तमान परिस्थितियों में जो मुद्दे हैं, उसकी सूची Intec द्वारा नोडल विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस क्रम में भारतीय रेल, दूरसंचार, पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग से संबंधित मुद्दे अलग–अलग उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

7. इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि रेलवे की भूमि का यदि स्थायी तौर पर हस्तांतरण संभव नहीं हो तो अस्थायी हस्तांतरण हेतु भी अनुरोध किया जाय।

8. मजार एवं रेलवे लाईन के बीच वैकल्पिक रास्ता बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गयी। जिला पदाधिकारी, पटना इसका अध्ययन कराकर अग्रेत्तर प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलबध कराएंगे।

9. NH-30 से पटना साहिब क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए बाजार समिति परिसर से एक सड़क बनाने का DPR बनाया गया है जो कृषि विभाग की अनापत्ति के लिए भेजा गया है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग से अनुरोध किया जाय कि वे अविलंब इसकी स्वीकृति दे दें।

10. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा एक पूरा वित्तीय ब्यौरा तैयार किया जाय। साथ ही साथ तैयारी के संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार की जाय।

11. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा भू–अर्जन संबंधी कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाय।

12. गंगा पथ से गुरूद्वारा तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु पथ निर्माण विभाग अग्रेत्तर कार्रवाई करे।

13. सभी को बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अगली प्रस्तुति प्रस्तावित है। तदनुसार प्रभावकारी अग्रिम तैयारी की जाय।

14. धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
(एस०के० नेगी),
विकास आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक 2632 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

21/5
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 2632 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2632 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रधान मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, हाजीपुर/महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, हाजीपुर/उप महाप्रबंधक, BSNL, पटना/Sr. Superintendent of Post, Patna/गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2632 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपि :– संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव